

कार्यालय नगर परिषद जालोर (राजस्थान)

राजस्थान लिस्ट

90-ए के तहत आवेदन पत्र के साथ निम्नानुसार दस्तावेज संलग्न करना

01. आवेदक का नाम
02. आवेदन पत्र मय शपथपत्र
03. क्षतिपूर्ति बन्धक पत्र
04. कृषि भूमि जमाबन्दी (जिल्ले खातेदारी के नाम है)
05. प्रार्थी आवेदक की पहचान पत्र (मतदाता परिचय पत्र) | अन्वयारकाई
06. खसरा मिलान क्षेत्रफल
07. खसरा प्लान
08. ब्ल्यू प्रिन्ट प्लोट का नक्शा-04 प्रतियो में
09. की-प्लान नक्शा
10. जमाबन्दी से लिंक (जुडी) दस्तावेज (संबंधित इकरारनामा, बेचान रजि. आवेदककर्ता तक)
11. स्वीकृत स्कीम प्लान प्रति (नगर परिषद से स्वीकृत)
12. न्यायालय में विवादित भूमि न होने का शपथपत्र
13. नगर परिषद जालोर के नाम At Disposal जमाबन्दी
14. स्वयं के मोबाईल नम्बर/सम्पर्क सुत्र
15. उपरोक्त दस्तावेज 02 प्रतियों में प्रस्तुत करे।

भूमि के आवंटन/नियमितीकरण के लिए आवेदन

प्रेषिती,
सचिव/मुख्य नगरपालिका/परिषद अधिकारी

फोटो

(स्थानीय प्राधिकारी का नाम)

1.	(क) आवेदक और उसके माता-पिता का नाम और डाक का पता		
	(ख) यदि आवेदन अन्य की ओर से फाइल किया गया है तो मुख्तारनामे की प्रमाणित प्रति		
	(ग) रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र, संगम ज्ञापन/संगम-अनुच्छेद और प्राधिकृत निदेशक के पक्ष में बोर्ड के निदेशकों के संकल्प की प्रमाणित प्रति (यदि आवेदक कम्पनी है)		
	(घ) रजिस्ट्रीकृत दरतावेज की प्रमाणित प्रति (यदि आवेदक फर्म/संस्था है)		
	(ङ) राजस्थान टाउनशिप पॉलिसी अधिनियम 2010 (यदि लागू हो) के अधीन रजिस्ट्रीकरण का प्रमाण पत्र		
2.	आवेदित क्षेत्र का ब्यौरा :		
	(1) ग्राम और तहसील का नाम		
	(2) खसरा सं. और क्षेत्र या भूमि के अन्य ब्यौरे		
3.	स्वामित्व के समर्थन में दस्तावेजों की प्रमाणित, प्रति और आवेदित भूमि के ब्यौरे		
	(क) प्ररूप-15 में नोटरी पब्लिक द्वारा सम्यक् रूप से अनुप्रमाणित शपथ पत्र		
	(ख) प्ररूप-16 में नोटरी पब्लिक द्वारा सम्यक् रूप से अनुप्रमाणित बंध पत्र		
	(ग) हक/पट्टे का सबूत		
	(घ) विक्रय विलेख/विक्रय करार/वसीयत/मुख्तारनामे की प्रति		
	(ङ) अभिन्यास योजना		
	(च) यदि भूखण्ड की सीमा में कोई एचटी/एलटी लाईन या ट्रांसफार्मर है		
	(छ) यह सबूत कि भूमि का गैर-कृषिक प्रयोजन के लिए उपयोग 17 जून 1999 से पूर्व किया गया है 21.12.2022		
4.	नियम 16 के अधीन निक्षिप्त प्रीमियम की रकम और चालान सं. और तारीख		
5.	(क) लम्बित न्यायालय प्रकरण (यदि कोई हो)		
	(ख) किराी सक्षम न्यायालय द्वारा पारित रोक आदेश या व्यादेश के ब्यौरे		

प्ररूप-14 भाग (ब)

6.	दस्तावेजों की कुल संख्या		
7.	पृष्ठों की कुल संख्या		
8.	आवेदन की तारीख		

आवेदन सम्यक् रूप से अनुप्रमाणित शपथ-पत्र, सम्यक् रूप से अनुप्रमाणित बंध पत्र और ऊपर उल्लिखित दस्तावेजों के साथ प्रयोजन (गैर-कृषिक उपयोग का प्रवर्ग विनिर्दिष्ट करें) के लिए भूमि के नियमितीकरण के लिए इसके द्वारा प्रस्तुत किया जाता है।

घोषणा

मैं इसके द्वारा प्रमाणित करता हूँ कि उपर्युक्त विशिष्टियाँ मेरी जानकारी और विश्वास के अनुसार सत्य है।

आवेदक का पता

आवेदक के हस्ताक्षर

● जो लागू न हो उसे काट दें।

(नाम)


प्राप्ति

आवेदक ने दिनांक को आवेदन प्रस्तुत किया जो रजिस्टर में क्र.सं. पर दिनांक रजिस्ट्रीकृत किया गया। मामला लागू नियमों के अनुसार प्रक्रियागत और निपटाया जायेगा : बैठक की तारीख और अतिरिक्त दस्तावेज, यदि कोई हो, के संबंध में जानकारी 7 दिन के भीतर-भीतर या तो दूरभाष से दी जायेगी या स्थानीय प्राधिकारी की वेबसाईट पर उपलब्ध होगी।

प्राप्तकर्ता प्राधिकारी के हस्ताक्षर:

प्ररूप-15
(नियम-16 (1) देखिए)

शपथ पत्र



मैं/हम श्री पुत्र श्री आयु निवासी
..... ग्राम तहसील जिला

मैं/हम इसके द्वारा निम्नलिखित रूप में शपथ लेता हूँ/लेते हैं और घोषणा करता हूँ/करते हैं :-

1. यह कि मैं/हम निम्नानुसार रूप में वर्णित भूमि का/के स्वामी/कब्जा धारक हूँ/हैं और प्ररूप 14 में /हमारे पक्ष में आवंटन तथा पट्टा विलेख जारी करने के लिए आवेदित भूमि के संबंध में किसी न्यायालय द्वारा कोई रोक/व्यादेश प्रवृत्त नहीं है और भूमि समस्त विल्लंगमों और विवादों से मुक्त है।

क्र.सं.	भूमि का ब्यौरा (कॉलोनी और भूखण्ड सं.)	क्षेत्र

2. यह कि मैं/हम, स्थानीय प्राधिकारी को विद्यमान विधियों और नियमों के अनुसार समस्त शोध और रकम का इसके द्वारा संदाय करने का पालन करूंगा/करेंगे।
3. यह कि राज्य सरकार और स्थानीय प्राधिकारी द्वारा समय-समय पर जारी समस्त निर्देशों और आदेशों का आवेदकों द्वारा पालन किया जायेगा।
4. यह कि आवेदित भूमि दी गई अनुज्ञा में उल्लिखित प्रयोजन के लिए ही उपयोग में ली जायेगी और स्थानीय प्राधिकारी के विहित मानकों के अनुसार और अनुमोदित अभिन्यास योजना के अनुसार विकसित की जायेगी।
5. यह कि आवेदन के साथ संलग्न दस्तावेज मेरी सर्वोत्तम जानकारी के अनुसार सत्य और प्रमाणिक है और मेरे द्वारा कुछ भी छिपाया नहीं गया है।

अभिसाक्षी

सत्यापन


मैं उपर्युक्त नामित अभिसाक्षी इसके द्वारा सत्यापित करता हूँ कि उपर्युक्त शपथपत्र के पैरा 1 से 5 तक की अन्तर्वस्तु सत्य और सही है। इसमें कुछ भी छिपाया नहीं गया है और इसका कोई भी भाग मिथ्या नहीं है। अतः ईश्वर मेरी सहायता करें।

मेरे द्वारा पहचान किया गया

अभिसाक्षी

प्ररूप-16
(नियम-16 (1) देखिए)

क्षतिपूर्ति बंधपत्र



मैं/हम श्री पुत्र श्री आयु निवासी
..... ग्राम तहसील जिला

मैं/हम इसके द्वारा निम्नलिखित रूप में शपथ लेता हूँ/लेते हैं और क्षतिपूर्ति करता हूँ/करते हैं :-

1. यह कि मैं/हम निम्नानुसार वर्णित भूमि जिसके लिए प्ररूप 14 में भूमि के आवंटन और मेरे/हमारे पक्ष में पट्टा विलेख जारी करने के लिए आवेदन प्रस्तुत किया गया है, का/के स्वामी हूँ/हैं।

क्र.सं.	भूमि का व्योरा (कॉलोनी और भूखण्ड सं.)	क्षेत्र

2. यह कि मैं/हम मामले में स्थानीय प्राधिकारी द्वारा भूमि के आवंटन और पट्टा विलेख जारी करने के कारण कारित किसी हानि, यदि कोई हो, के लिए स्थानीय प्राधिकारी को क्षतिपूर्ति करने के लिए इसके द्वारा स्वयं को पाबन्द करता हूँ/करते हैं।
3. यह कि मैं/हम स्कीम के अनुमोदन और भूमि के आवंटन के कारण मामलों में उत्पन्न किसी विवाद के कारण आवेदक द्वारा कोई कार्य करने या लोप के कारण कारित किसी हानि, यदि कोई हो, के लिए स्थानीय प्राधिकारी को क्षतिपूर्ति करने के लिए भी इसके द्वारा स्वयं को पाबन्द करता हूँ/करते हैं।
4. यह कि स्थानीय प्राधिकारी को, आवेदक की ओर से बिना शर्त, नियम या आदेश के भंग पर आवंटन को निरस्त करने और अभिन्यास योजना के अनुमोदन को प्रत्याहृत करने का अधिकार होगा और आवेदक इस प्रक्रिया में किसी व्यक्ति को कारित किसी धनीय हानि के लिए दायी होगा।

आवेदक